



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

4 फाल्गुन 1947 (श0)  
(सं0 पटना 215) पटना, सोमवार, 23 फरवरी 2026

---

वित्त विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी 2026

सं० 3ए-3-(या०भ०)-01/2010-1926/वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2026

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (1) यह नियमावली "बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।
- (2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-69(1) के नोट-(vii) के बाद नोट-(viii) निम्नवत् जोड़ा जायेगा:-

“(viii) सरकारी कार्य प्रयोजनार्थ विदेश यात्रा के दौरान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर से दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा।”

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,  
जय सिंह,  
सचिव (संसाधन)।

**Finance Department****NOTIFICATION****23<sup>rd</sup> February 2026**

No. 3A-3-Allowance(T.A.)-01/2010-1927/F.— In exercise of powers conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make following Rule to amend The Bihar Travelling Allowance Rule, 1949:-

**Bihar Travelling Allowance (Amendment) Rule, 2026****1. Short Title, extent and Commencement: –**

- (1) These rules may be called Bihar Travelling Allowance (Amendment) Rule, 2026
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.

**2. After Note (vii) of Rule-69(1) of the Bihar Travelling Allowance Rule, 1949 the following note (viii) shall be added :—**

**"(viii) During travelling abroad, for official work, daily allowance shall be admissible at the rate prescribed by the Ministry of External Affairs, Government of India."**

**By Order of the Governor of Bihar,**  
**JAI SINGH,**  
**Secretary (Resource).**

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 215-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>